कार्यालय–जनपद न्यायाधीश, बस्ती।

संख्या: 42 /नजारत/नीलामी नोटिस, दिनांकित–01.04.2023

संशोधित नीलामी नोटिस

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय बस्ती में वित्तीय वर्ष 2023–2024 के लिये स्थल/दुकान की नीलामी हेतु दिनांक 29.03.2023 को नीलामी नोटिस निर्गत की गयी थी। किन्तु उक्त नोटिस में कुछ त्रुटियों को संशोधित करते हुये पुनः निम्नलिखित स्थलों/दुकानों को सार्वजनिक नीलामी पूर्व नियत तिथि, दिनांक **10.04.2023,** दिन शुक्रवार को दिन में 01.30 बजे जनपद न्यायालय, बस्ती के वीडियो कान्फ्रेंसिंग हाल में नीलामी समिति की देखरेख में सम्पन्न की जायेगी।

कम संख्या	**प्रस्तावित दुकान व ठेके जिसकी नीलामी होनी है।**	**टिप्पणी**
01.	कम्प्यूटर टाइपिंग की दुकान (गेट नं0–1 के बगल)	10 फिट चौड़ा एवं 16 फिट लम्बा
02.	चाय, मिठाई, नमकीन आदि की दुकान (गेट नं0–1 के बगल)	37 फिट चौड़ा एवं 15 फिट लम्बा
03.	चाय, मिठाई, नमकीन आदि की दुकान (वकालतखाना बाउण्ड्री के अंदर)	34 फिट चौड़ा एवं 14 फिट लम्बा
04.	चाय, मिठाई, नमकीन आदि की दुकान (डी0जी0सी0 क्रिमनल के कार्यालय के बगल)	30 फिट चौड़ा एवं 32 फिट लम्बा
05.	फोटो स्टेट की दुकान (गेट नं0–3 के बगल)	08 फिट चौड़ा एवं 13 फिट लम्बा
06.	चाय, मिठाई, नमकीन आदि की दुकान (गेट नं0–3 के बगल)	24 फिट चौड़ा एवं 24 फिट लम्बा
07.	ठेले पर फल बेचने का ठेका (डी0जी0सी0 सिविल के कार्यालय के बगल)	7 फिट चौड़ा एवं 10 फिट लम्बा
08.	फोटो स्टेट की दुकान (डी0जी0सी0 सिविल के कार्यालय के बगल)	9.3 फिट चौड़ा एवं 15 फिट लम्बा
09.	चाय, मिठाई, नमकीन आदि की दुकान (डी0जी0सी0 सिविल के कार्यालय के बगल)	14 फिट चौड़ा एवं 30 फिट लम्बा
10.	साइकिल स्टैण्ड का ठेका(गेट नं0–4 के सामने)	77 फिट चौड़ा एवं 6.8 फिट लम्बा

उपरोक्त की नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों/ठेकेदारों को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा–

01. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को मु0 100.00 नकद प्रति फार्म की दर से नजारत कार्यालय से दिनांक **01.04.2023 से 04.04.2023** तक किसी भी कार्यालय दिवस में नीलामी फार्म प्राप्त करना होगा।

02. नीलामी में उच्चतम बोली बोलने व्यक्ति को संपूर्ण धनराशि तुरन्त जमा करना होगा।

03. प्रत्येक दुकान तथा ठेकेदार को जमानत राशि के रूप में मु0 1000.00 रूपया नकद प्रति फार्म की दर से नीलामी फार्म के साथ दिनांक 01**.04.2023 से 05.04.2023** तक किसी भी कार्यालय दिवस में जमा करना होगा।

04. प्रत्येक दुकान अथवा ठेके के लिये अलग अलग नीलामी फार्म प्रस्तुत करना होगा।

05. जमानत की राशि ठेका की अवधि समाप्त होने के पश्चात वापस की जायेगी।

06. किसी भी व्यक्ति/ठेकेदार की नीलामी स्वीकृत करने, अस्वीकृत करने अथवा बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार, माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, बस्ती को होगा।

07. आवंटी को प्राप्त दुकान/ठेका दिनांक **31.03.2024** तक प्रभावी माना जायेगा।

इस नोटिस/सूचना की छायाप्रतियॉ विस्तृत प्रचार प्रसार हेतु जनपद न्यायालय बस्ती के विभिन्न नोटिस बोर्डो, जिला अधिकारी बस्ती, पुलिस अधीक्षक बस्ती, विकास भवन, तहसील सदर, जिला सूचना अधिकारी बस्ती, जिला योजन कार्यालय बस्ती, प्रधान डाकघर, रेलवे स्टेशन व रोडवेज बस्ती आदि समस्त राजकीय कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करायी जाये तथा जनपद न्यायालय बस्ती के वेवसाइट पर भी अंकित कराया जाये।

(शोभा भाटी)	**(उमेश यादव)**	**(विजय कुमार कटियार)**	**(शिवचन्द)**
सदस्य नीलामी समिति	**सदस्य नीलामी समिति**	**सदस्य नीलामी समिति**	**अध्यक्ष नीलामी समिति**
सिविल जज (जू0डि0) बस्ती।	अति0 मुख्यान्यायिक दण्डाधिकारी बस्ती।	अति0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ फास्ट ट्रैक कोर्ट,बस्ती।	अति0जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0एक्ट बस्ती।